न्यायालय- सिविल जज(सी० डि०) / ए०सी०जे०एम०, गरौठा ,जनपद- झाँसी ।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 287/ 2026

सरकार बनाम प्रवेश ।

अपराध सं०- 203/ 2025

धारा- 281,125(ए) ,125(बी) बी०एन०एस० ।

थाना- गरौठा ,जिला- झाँसी ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारण

दिनांक- 30. 05. 2026

1. आज दिनांक - 30. 05. 2026 को अभियुक्त **प्रवेश** द्वारा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है । अभियुक्त को झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है । अभियुक्त ने कोई तेजी व लापरवाही से वाहन नहीं चलाया है और न ही किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हुआ है । अभियुक्त के ऊपर आरोपित धारायें काबिले जमानतीय धाराये हैं । अभियुक्त न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार अपने माकूल जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है । अतः याचना की गयी कि दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये ।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा इस बावत आख्या अंकित की गयी कि अभियुक्त का अपराध जमानतीय है ।

4. अभियुक्त के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व अवलोकन किया गया ।

5. अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुये प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा शत्रुतावश गलत ढंग से आलिप्त किया जाना कहा गया है । अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में उक्त अपराध की धारा के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध 7 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है । अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिक्षणीय है ।

6. अतः मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार हैं ।

7. अभियुक्त **प्रवेश** द्वारा अंकन 20,000/ - रू० का एक बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू व अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है ।

(मयंक प्रकाश)

सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी०जे०एम०,

गरौठा ,जनपद- झाँसी ।

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.05.30 12:43:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court